UPSP010010272026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-12, सहारनपुर।
उपस्थित- निशान्त देव (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी0 1704
CNR No-UPSP010010272026
सत्र वाद संख्या-208/2026

राज्य ..... **अभियोजन।**

बनाम

वाजिद पुत्र दिलशाद निवासी- मौ० गंगा आर्यनगर कस्बा जल्लाबाद थाना- थानाभवन जिला- शामली। **.....अभियुक्त।**

मु0 अ 0 सं0- 573/2025
धारा- 8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
थाना-गंगोह, जिला-सहारनपुर।

निर्णय

1. अभियुक्त वाजिद के विरुद्ध पुलिस थाना गंगोह, जिला सहारनपुर द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र विचारण हेतु मुकदमा अपराध संख्या-573/2025, अन्तर्गत धारा-8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है।

2. तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनांक 02.12.25 को मैं उप निरीक्षक केरन सिहं मय हमराही है0 का0 258 अजीत मलिक, का0126 सविन कुमार, का0 326 रिंकू के थाना हाजा से बहवाले रपट नंबर 17 समय 11.09 बजे हम पुलिस वाले मय प्राइवेट वाहन से थाना क्षेत्र में देखरेख शांति व्यवस्था चेकिंग संदिघ वाहन व्यक्ति तलाश वांछित वारंटी में रवाना होकर विद्यार्थी तिराहे से नया बिजलीघर रोड पशुपैठ चौराहे की तरफ जाते समय सामने से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया जो हम पुलिस वालों को आता देख पीछे मुड कर तेज कदमों से चलने लगा तो हम पुलिस वालो द्वारा उसे रोका व टोका तो दौडने लगा जिसपर शक बदमाश होने पर हम पुलिस वालों ने एकदम घेर घोटकर उस व्यक्ति को नये बिजली घर के सामने बिना वक्त गवाए पर पकड लिया पकडे गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम वाजिद पुत्र दिलशाद निवासी मौ० गंगा आर्यनगर कस्बा जल्लाबाद थाना थाना भवन जनपद शामली उम्र करीब 30 वर्ष बताया दाहिने हाथ में ले रखी एक काली पिन्नी जिसे खोलकर मुझ उ 0 नि0 को दिखाई और बताया कि साहब मेरे पास स्मैक है तथा चुप हो गया पन्नी को खोलकर देखा गया तो काली पिन्नी के अन्दर एक पारदर्शी पिन्नी में एक हल्के गुलाबी रंग का पदार्थ है। पोलीथीन से बरामद हल्के गुलाबी पदार्थ को सुंघा/देखा व हमराहीयान को दिखाया गया तो अनुभव के आधार पर नशीला पदार्थ स्मैक प्रतीत हो रहा है जिसके विषय में सख्ताई से पूछने पर पकडे गये व्यक्ति द्वारा बताया गया कि साहब मै स्मैक का नशा करता हूँ तथा स्मैक बेचने का काम करता हूँ, यह जो स्मैक आज आपको मुझसे बरामद हुई है इसे मै बेचने के लिए जा रहा था लेकिन आपने

पकड लिया तथा साहब में स्मैक पीता व बेचता हूँ और मै इस स्मैक को बेचने जा रहा था कि आप लोगों को देखकर घबरा गया था और पकड़े जान के डर से इसे कहीं छिपाना चाह रहा था भागने का प्रयास कर रहा था साहब गलती हो गई। तब पकडे गए व्यक्ति को इसके विधिक अधिकार से अवगत कराया गया कि तुम्हें अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से कराए जाने का विधिक अधिकार है पकडे गये व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि साहब जब आपको मैंने स्मैक दे ही दी है और मेरे पास अन्य कोई सामान नही है तो आप ही मेरी तलाशी ले लो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मौके पर अन्य किसी अधिकारी को बुलाकर या समक्ष चलकर मै कोई और गवाह नही बढाना चाहता हूँ। मुझ उ 0 नि0 द्वारा मौके पर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत सहमति पत्र तैयार किया गया सहमति पत्र पढकर सुनाकर आलामात बनवाये गये। फिर हम पुलिस वालो ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यह विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई अवैध वस्तु नही है। तदुपरान्त मुझ उ 0 नि0 द्वारा पकड़े गये व्यक्तिकी जामा तलाशी हमराही कर्मचारीगण की मदद से ली व लिवायी गयी तो पकडे गये व्यक्ति वाजिद उपरोक्त के पास से अन्य कोई वस्तु बरामद नही हुई। बरामद स्मैक को मौके पर अपने पास विवेचना किट में मौजूद इलेक्ट्रानिक काँटे से सावधानी पूर्वक तोला गया तो अभियुक्त वाजिद उपरोक्त से बरामद स्मैक कुल शुद्ध वजन 20 ग्राम पाया | पकड़े गए व्यक्ति उपरोक्त को इसके जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से अगवत कराते हुए समय 12.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व कारण गिरफ्तारी बताकर नोटिस तामिल कराया गया। बरामद नशीला पदार्थ स्मैक को अभियुक्त उसी काली व पारदर्शी पोलीथीन में रखकर सफेद में कपडे में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा तौल पर्ची तैयार कर अलामात बनवाये गये। दौराने कार्यवाही आने जाने वाले राहगीरो को रोककर मकसद बताकर गवाही गवाहन हेतु कहा गया तो कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के कारण तैयार नही हुआ और बिना नाम पता बताये अपने अपने राह को चले गये। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया व कराया गया। तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के समय धारा 105 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में नियत प्रावधानों का पालन करते हुए ई साक्ष्य एप्लीकेशन से वीडियोग्राफी करनी चाही परन्तु ई साक्ष्य एप्लीकेशन न चलने के कारण विडियोग्राफी नहीं हो सकी तथा का0126 सविन कुमार के अपने फोन के सामान्य कैमरे से गिरफ्तारी व बरामदगी की विडियोग्राफी बनवायी गयी। माल के नमूने की कार्यवाही वास्ते परीक्षण (एफएसएल) माननीय न्यायालय के समक्ष की जायेगी। पकड़े गए अभियुक्त का गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया। अभियुक्त वाजिद उपरोक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर द्वारा उचित माध्यम के अभि० के अभियुक्त बताये अनुसार दी जायेगी। फर्द मुझ उ 0 नि0 द्वारा मौके पर अपने निजी लैपटाप पर टाईप कराकर फर्द का मजबून पैनड्राईव में सेव कर का0 326 रिंकू को थाने भेजकर फर्द के प्रिन्ट निकलवाकर मंगवाये गये | प्रिंट को मूल टाइपशुदा से मिलान किया तो हुबहू मेल खाती है। फर्द को पढ़कर सुनाकर हमराहीयान के गवाही गवाहान कराए गए तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त वाजिद को देकर सुनाकर अलामात बनवाए गये।

3. वादी मुकदमा उप निरीक्षक केरन सिंह की उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर अभियुक्त वाजिद के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-573/2025 अन्तर्गत धारा-8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना- गंगोह, जिला सहारनपुर के

अन्तर्गत पंजीकृत कर चिक किता की गयी तथा विवेचना उप निरीक्षक बिलेश कुमार को सुपुर्द की गयी।

4. विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त वाजिद के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-8/21 एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त वाजिद न्यायालय के समक्ष जिला कारागार से उपस्थित आया। अभियुक्त को धारा- 207 दं0 प्र 0 सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

6. मामले में अभियुक्त वाजिद के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-8/21 एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट में आरोप दिनाँक 13.02.2026 को विरचित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की याचना की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षी को परीक्षित कराया गया हैः-

अभियोजन साक्षी सं.	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की भूमिका**
1	**कां० 326- रिंकू**	एफ.आई.आर.लेखक

अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किया गया हैः-

प्रदर्श सं.	**प्रदर्श का विवरण**	**साक्षी जिसके द्वारा साबित किया गया**
क-1	असल चिक एफ.आई.आर.	कां० 326- रिंकू
क-2	जी.डी.	कां० 326- रिंकू
क-3	फर्द बरामदगी	कां० 326- रिंकू
क-4	धारा50 एनडीपीएस एक्ट सहमति पत्र	कां० 326- रिंकू
क-5	नोटिस	कां० 326- रिंकू
क-6	गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र	कां० 326- रिंकू
क-7	गिरफ्तारी का आधार/कारण	कां० 326- रिंकू

9. मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

10. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनाँक 02.12.2025 को समय 12.20 बजे स्थान-बिजलीघर रोड पशु पैठ चौराहा की तरफ अन्तर्गत थाना गंगोह जिला सहारनपुर में अभियुक्त को पुलिस द्वारा संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसको अपने पास रखने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं था।

11. उक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 कां० 326- रिंकू को परीक्षित कराया गया। उक्त साक्षी द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया गया है कि दिनांक 02.12.2025 को मैं थाना गंगोह पर कां. के पद पर तैनात था। उस

दिन वादी मुकदमा उपनिरीक्षक कैरन सिंह की फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-573/2025 बनाम वाजिद पुत्र दिलशाद, निवासी- मौहल्ला गंगा आर्यानगर जल्लाबाद थाना- थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसकी चिक एफआईआर कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द किता की गयी थी। पत्रावली में शामिल असल चिक एफआईआर कम्प्यूटर द्वारा तैयार मेरे सामने है जिस पर थाना-प्रभारी के हस्ताक्षर मौजूद है शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-**1** डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की जी.डी. मेरे सामने है उपरोक्त मुकदमें का खुलासा मेरे द्वारा उसी समय जी.डी. न० 21 समय 13.23 बजे कर दिया था। जिसे मैं अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूँ शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-**2** डाला गया। इस मुकदमें के वादी मुकदमा उपनिरीक्षक कैरन सिंह के साथ मैंने कार्य किया है उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूँ उनको लिखते व पढ़ते मैंने देखा है। इस मुकदमें के वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त वाजिद को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसकी मौके पर ही फर्द बरामदगी , सहमति पत्र धारा 50 एनडीपीएस एक्ट, नोटिस गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र, गिरफ्तारी का कारण व आधार, सभी प्रपत्र मौके पर तैयार किये गये थे। पत्रावली में शामिल असल फर्द बरामदगी, सहमति पत्र, धारा 50 एनडीपीएस एक्ट नोटिस गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र, गिरफ्तारी का कारण व आधार पर वादी मुकदमा, हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त के हस्ताक्षर मौजूद है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिन सभी प्रपत्रों पर क्रमशः प्रदर्श क-**3,** प्रदर्श क-**4,** प्रदर्श क-**5,** प्रदर्श क-**6** व प्रदर्श क-**7** डाला गया।

12. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0 प्र 0 सं0 दिनाँक 10.07.2026 को अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने उसके पास से उक्त प्रकरण में 20 ग्राम अवैध स्मैक की बरामदगी को सही बताया गया। उसने बिना किसी भय या दबाव के स्वेच्छा अपना जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त ने साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 कां० 326- रिंकू के बयानों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन किया है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनाँक 02.12.2025 को समय 12.20 बजे स्थान- बिजलीघर रोड पशु पैठ चौराहा की तरफ अन्तर्गत थाना गंगोह जिला सहारनपुर में अभियुक्त को पुलिस द्वारा संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसको अपने पास रखने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं था। उक्त के आधार पर मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया। उक्त कथानक को साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 द्वारा अपने सशपथ बयानों से समर्थित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत हो।

14. इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित किया गया है। जिस कारण अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

15. अभियुक्त **वाजिद** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा- 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार से उपस्थित है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश बाद पुनः पेश हो।

दिनाँक - 04.08.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-12, सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड- यू.पी.1704)

पुनश्चः-

16. पत्रावली भोजनावकाश पश्चात पेश हुई। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना।
17. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस०एक्ट) द्वारा कहा गया कि अभियुक्त पर आरोप सिद्ध हो चुका है। अतः अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।
18. अभियुक्त वाजिद की ओर से तर्क दिया गया है कि वह अत्यंत गरीब है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वह उक्त प्रकरण में 08 माह 02 दिन जिला कारागार में निरुद्ध रहा है, उसके कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इस प्रकार यह मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से बहुत कम हैं। वह आईन्दा कोई अपराध नहीं करेगा। उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।
19. उक्त परिस्थितियों एवं प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **वाजिद** को विशेष वाद संख्या-208/2026, राज्य बनाम वाजिद, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या- 573/2025 अन्तर्गत धारा-8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर के प्रकरण में **08 माह** के कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माने की धनराशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त 07 दिन के कारावास की अतिरिक्त सजा को भोगेगा।

पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाती है।

अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार सहारनपुर प्रेषित किया जाये तथा अभियुक्त को अविलम्ब निर्णय की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक - 04.08.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-12,सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड- यू.पी. 1704)

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनाँक - 04.08.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-12,सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड- यू.पी. 1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.08.04 16:47:57 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur